मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–365

उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी निर्देशों का किया गया कड़ाई से अनुपालन

01 मार्च से 02 जून तक कुल 55160.84 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त की गयी

आदर्श आचार संहिता लागू होने से 02 जून तक कुल 50008.71 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त की गयी

दिनांक 03 जून, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 02 जून, 2024 तक कुल 55160.84 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किये गये। इसमें 9128.78 लाख रुपये नकद धनराशि, 5776.58 लाख रुपये कीमत की शराब, 24238.29 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2889.47 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं, 10714.81 लाख रुपये कीमत के मुफ्त उपहार एवं 2412.91 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि 16 मार्च, 2024 से 02 जून 2024 तक कुल 50008.71 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किये गये। इसमें 8317.01 लाख रुपये नकद धनराशि, 4565.74 लाख रुपये कीमत की शराब, 22764.85 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 1327.78 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं, 10714.81 लाख रुपये कीमत के मुफ्त उपहार एवं 2318.51 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।

————————